न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 42/2010

1 गौरीशंकर पुत्र लच्छाराम
2 मोहनलाल पुत्र लच्छाराम
जाति जोगी निवासी अलोदा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर (राज.)।

अपीलांट

बनाम

1 गणपतराम पुत्र लच्छाराम जाति जोगी
2 नाथु पुत्र गोविन्दी (फौत)
2/1 इन्द्रा पुत्री गोविन्दी
2/2 कमल पुत्र गोविन्दी
2/3 श्याम पुत्री गोविन्दी
2/4 सन्तरा पुत्री गोविन्दी
2/5 चौथमल पुत्र गोविन्दी
जाति जोगी निवासी अलोदा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर राज.।
3 मनभरी पुत्री लच्छाराम पत्नी जगदीश जाति जोगी निवासी बिलान्दपुर तहसील शाहपुरा जिला जयपुर (राज.)।
4 शान्ति पुत्री लच्छाराम पत्नी मूलचन्द निवासी रामगढ़ तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर राज.।
5 तहसीलदार तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर राज.।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपील विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21.08.2004
श्री जयसिंह उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़
अन्तर्गत राजस्व वाद संख्या 16/2000 गणपत
बनाम गोरीशंकर आदि।

उपस्थिति :

1. श्री मदन लाल कुमावत, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री नोपाराम जांगिड़, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः—21.6.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 16/2000 में पारित निर्णय दिनांक 21.08.2004 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में रेस्पोडेन्ट संख्या—1 द्वारा अपीलार्थीगण व अन्यों के विरूद्ध एक किता वाद बाबत उद्घोषणा खातेदारी अधिकार स्थायी व्यादेश एवं बंटवारा एवं दुरूस्ती इन्द्राजात हेतु विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसमें

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

प्रतिवादी संख्या 1 लच्छाराम की मृत्यु दिनांक 25.12.2000 को होने पर उनके वारीसान पहले से ही रिकार्ड पर होने के कारण उनका नाम हजफ किया गया। जिसमें विचारण न्यायालय द्वारा उक्त उक्त वाद में दिनांक 21.08.2004 को निर्णय एवं डिक्री पारित करते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का वाद आंशिक रूप से स्वीकार करने के आदेश पारित किये है। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि प्रकरण में अपीलार्थीगण की तामील होने पर वह जरिये अधिवक्ता न्यायालय सहायक कलेक्टर द्वितीय सीकर के समक्ष उपस्थित होते रहे और जब प्रकरण को उपखण्ड अधिकारी महोदय दांतारामगढ़ के यहां ट्रांसफर किया गया तो इसकी सूचना न तो न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण को दी गई और न ही अपीलार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा दी गई जबकि अपीलार्थीगण के अधिवक्ता श्री विनोद कुमार महलावत एडवोकेट सीकर ने यह हिदायत दे रखी थी कि जब भी आवश्यकता होगी अपीलार्थीगण को बुलवालेगा परन्तु इसके बावजुद भी अपीलार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा प्रकरण उपखण्ड अधिकारी के यहां ट्रांसफर किये जाने की कोई सूचना नहीं दी गई और न ही वे स्वयं दिनांक 09.07.2003 को विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए इस कारण उसी दिन प्रकरण में अपीलार्थीगण के विरूद्ध उक्त प्रकरण में इकतरफा कार्यवाही की गई है और उनकी अनुपस्थिति में उक्त निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21.08.2004 पारित किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा वाद–पत्र में विवादित कृषि भूमियों को कतई गलत रूप से वास्तविक तथ्यों को छिपाकर संयुक्त कब्जे काश्त की भूमियों बता कर वाद व आवेदन विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया जबकि वादग्रस्त कृषि भूमियों व गुवाड़ी खसरा नम्बर 429, 480 रकबा 1.34 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 252, 253, 410, 411, 413, 415 कुल रकबा 7.26 हैक्टेयर एवं लच्छानाथ की स्व. अर्जित कृषि भूमियों है जिनका बंटवारा उन्ही के द्वारा किया जाकर ग्राम अलोदा में स्थित कृषि भूमियां खसरा नम्बर 479, 480 रकबा 1.34

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

की कृषि भूमि उसमें बनी गुवाड़ी व 2 कुए रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के हिस्से में दी गई व ग्राम भगवानपुरा में स्थित कृषि भूमियों खसरा नम्बर 252, 253, 410, 411, 413, 415 कुल रकबा 7.26 हैक्टेयर में बनी गुवाड़ी व कुआ अपीलार्थीगण के 1/2, 1/2 हिस्सा करके दी गई और उसी पारिवारिक समझौता के द्वारा विभाजित की गई और इसी बंटवारे के समय से ही उपरोक्त कृषि भूमियों पर अपीलार्थीगण व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 अपने अपने हिस्सों पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है और इसी पारिवारिक समझौता में हुए बंटवारे की लिखापढ़ी अपीलार्थीगण व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 4 के पिता स्व. लच्छानाथ द्वारा दिनांक 06.05.1999 को पांच रूपये के स्टाम्प पर की गई और शेष कृषि भूमियों उन्होंने अपने हिस्से में रखली गई उपरोक्त पारिवारिक बंटवारे के बावजूद भी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा वास्तविक तथ्यों को छुपाकर निर्णय व डिक्री दिनांक 21.08.2004 पारित करवाई गई है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद में अन्य सहखातेदार को वाद में पक्षकार संयोजित नहीं किया गया है। इस कारण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत वाद में नॉन जोइन्डर ऑफ इंससियल पार्टीज का दोष होने के बावजूद भी विचारण न्यायालय ने इस तथ्य को कतई गलतरूप से नजर अन्दाज कर निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21.08.2004 पारित किया गया है। प्रकरण को सीकर के उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़ में हस्तान्तरण किये जाने बाबत न तो कोई पत्र दिया गया न अपीलार्थीगण को कोई सूचना दी गई और नहीं विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण को कोई सूचना दी गई परन्तु अपीलार्थीगण दिनांक 25.05.2005 को उपरोक्त अधिवक्ता से उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में मालुमात करने गया तो उक्त अधिवक्ता ने बताया कि उक्त प्रकरण तो दांतारामगढ़ उपखण्ड अधिकारी के यहां पूर्व में ही ट्रांसफर हो चुकी है। जिस पर अपीलार्थी द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उक्त प्रकरण बाबत उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़ के मालुमात करवाया गया तो अपीलार्थीगण को उक्त प्रकरण की निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21.08.2004 के बाबत जानकारी हुई। जानकारी से अन्दर मियाद धारा 5 के आवेदन के साथ अपील प्रस्तुत की गई है। अपील स्वीकार की जावें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में अपीलांट की जरिये वकील उपस्थिति रही है। विचारण न्यायालय में दौराने सुनवाई अपीलांट एवं उनके अधिवक्ता के उपस्थित नहीं होने पर दिनांक 09.07.2003 को एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गये है। अपीलांट द्वारा विचारण न्यायालय में पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी सम्यक पैरवी नहीं की गई है। विचारण न्यायालय ने पत्रावली में प्रस्तुत साक्ष्य का विस्तृत विवेचन कर विधिक प्रकिया की पालना कर विचाराधीन निर्णय व डिक्री पारित की है। अपीलांट की अपील मियाद बाहर है। दिन प्रतिदिन की देरी का संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किया गया है। अपीलांट मियाद के बिन्दु पर लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अपील सारहीन है। खारिज की ज़ावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में अपीलांट की जरिये वकील उपस्थिति रही है। विचारण न्यायालय में दौराने सुनवाई अपीलांट एवं उनके अधिवक्ता के उपस्थित नहीं होने पर दिनांक 09.07.2003 को एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गये है। अपीलांट द्वारा विचारण न्यायालय में पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी सम्यक पैरवी नहीं की गई है। विचारण न्यायालय ने पत्रावली में प्रस्तुत साक्ष्य का विस्तृत विवेचन कर विधिक प्रकिया की पालना कर विचाराधीन निर्णय व डिक्री पारित की है। अपीलांट की अपील मियाद बाहर है। दिन प्रतिदिन की देरी का संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किया गया है। अपीलांट मियाद के बिन्दु पर लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 21.6.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर